੧ੳ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
पी.एस.बी. (भारत सरकार का उपक्रम/A Govt. of India Undertaking)

प्र. का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
"शेयर कक्ष", बैंक हाऊस, प्रथम तल,
21, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110 008
H.O. Accounts & Audit Department
"Shares Cell", Bank House, 1st Floor,
21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Email:complianceofficer@psb.co.in

सदर्भ:.................................. दिनांक /Dated:....................................

Ref: PSB/HO/Shares Cell/ /2020-21 **April 26, 2021**

To,

Bombay Stock Exchange Limited, **Department of Corporate Services,** 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001. **SCRIP ID : PSB** **SCRIP CODE : 533295**	**National Stock Exchange of India Ltd.,** Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. **SYMBOL: PSB SERIES: EQ**

Dear Sir,

Reg: Publication of Notice for Extraordinary General Meeting on 17th May 2021.

This is in continuation to our letter dated 23/04/2021wherein the Notice of the Extraordinary General Meeting had been forwarded to the stock exchanges. In this regard, Bank has also published the notice in the newspapers.

Accordingly, a copy of notice of Extraordinary General Meeting published in Financial express (English newspaper) and Jansatta (Hindi newspaper) on 24.04.2021 is forwarded for your reference.

You are requested to take a note of the same.

Yours faithfully,

Authorised Signatory

जनसत्ता, 24/04/2021

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

www.psbindia.com

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

नोटिस

यह हमारे समाचार-पत्र नोटिस दिनांकित 13.04.2021 के संदर्भ में है जो एमसीए (कारपोरेट कार्य मंत्रालय) परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08.04.2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13.04.2020, परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांकित 15.06.2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28.09.2020 तथा परिपत्र संख्या 39/2020 दिनांकित 31.12.2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12.05.2020 व एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15.01.2021 के अनुसरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों के माध्यम से सोमवार, 17 मई, 2021 को प्रात: 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में निम्नांकित व्यवसायिक मदों पर विचार-विमर्श करने से संबंधित है:

मद संख्या 1 : राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008, यथासंशोधित सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निर्देश दिनांकित अगस्त 02,2019 तथा विनियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य लागू निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) में से एक निदेशक का चुनाव करना।

टिप्पणियां -

- पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, ईजीएम सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन समस्त शेयरधारकों को भेजी गई है जिनके ई-मेल पते बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी (एस) के पास पंजीकृत है तथा हमारे समाचार-पत्र नोटिस दिनांकित 13.04.2021 के अनुसरण में उन शेयरधारकों को भी भेजी गई है जिन्होंने हमारे आरटीए, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं। उपयुक्त फॉर्म सहित ईजीएम के विस्तृत सूचना की प्रति बैंक की वेबसाइट अर्थात www.psbindia.com, शेयर बाज़ारों की वेबसाइट www.bseindia.com व www.nseindia.com और सीएसडीएल की भी वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
- शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं और सहभागिता कर सकते हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2008 के विनियम 58 के अंतर्गत वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना गणपूर्ति (कोरम) के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए मानित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश, ईजीएम की विस्तृत सूचना में वर्णित है।
- इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान : शेयरधारक नोट करें कि एमसीए परिपत्रों के साथ पठित सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 (ई-मतदान) के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसरण में बैंक, सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (दूरस्थ ई-वोटिंग व ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) द्वारा अपने शेयरधारकों को उनके मताधिकार के प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है तथा शेयरधारक सीएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध सूचना के अनुसार ही इसके लिए प्रक्रिया का अनुसरण करें।
- विनिर्दिष्ट/अंतिम तिथि : उक्त चुनाव में भाग लेने यथा नाम निर्देशन, निर्वाचन तथा मतदान (दूरस्थ ई-वोटिंग तथा ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से बैंक ने मंगलवार, 20 अप्रैल 2021 को विनिर्दिष्ट/अंतिम तिथि नियत की है।
- **उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि शनिवार, 01 मई 2021 अपराह्न 04.00 बजे है।**
- अंतिम तिथि अर्थात् मंगलवार, 20 अप्रैल 2021 को शेयर रखने वाले शेयरधारक, ई-मतदान के लिए लॉग-इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने हेतु नोटिस में दिए गए प्रक्रियाओं का अनुसरण करें। जिन व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट तारीख तक शेयरधारकों /हिताधिकार स्वामी (निक्षेपागार के पास अनुरक्षित) के रजिस्टर में पंजीकृत है, केवल वे ही दूरस्थ ई-मतदान/ईजीएम में ई-मतदान सुविधा के लिए पात्र होंगे।
- बुधवार, 12 मई 2021 को प्रात: 10.00 बजे दूरस्थ ई-मतदान प्रारंभ होगी तथा रविवार, 16 मई 2021 को अपराह्न 05.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि अर्थात् 20 अप्रैल 2021 को शेयर मूर्त अथवा अमूर्त रूप में है, अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद वोटिंग के लिए सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल बंद कर दी जाएगी तथा 16 मई 2021 को अपराह्न 5.00 बजे के बाद दूरस्थ ई-मतदान की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक द्वारा एक बार मतदान के पश्चात, शेयरधारक को इसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 के खंड 3 के उपखंड (2 ई) की शर्तों के अनुसार केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मताधिकार के समय बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने का पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा।
- ई-मतदान नियमों के अनुसार, केवल उन शेयरधारक को जो ईजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है और जिन्हें अन्यथा ऐसा करने से नहीं रोका गया है, ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की अनुमति होगी। दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पश्चात भी शेयरधारक ईजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें ईजीएम में पुन: मतदान की अनुमति नहीं होगी।
- शेयरधारक जिनके पास निर्दिष्ट तिथि को शेयर भौतिक रूप में है तथा/या जिन्होंने हमारे नोटिस दिनांकित 13.04.2021 के अनुसरण में बैंक/डिपॉजिटरी सहभागी (यों)/आरटीए के पास अपने ईमेल-पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि दूरस्थ ई-मतदान या ईजीएम में ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने के लिए बैंक वेबसाइट अर्थात www.psbindia.com पर उपलब्ध ईजीएम सूचना में अनुबद्ध अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करें।
- अध्यक्ष या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम, बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शेयर बाज़ारों जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, को भी तुरंत परिणाम अग्रेषित किए जाएंगे।
- यदि आपको ईजीएम में भाग लेने व ई-मतदान प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार की जिज्ञासा या प्रश्न है तो सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूएस) व ई-मतदान मैनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या श्री नितिन कुंदर (022- 23058738) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दल्वी (022-23058542) से संपर्क करें।

  इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए श्री राकेश दल्वी, प्रबंधक, (सीडीएसएल) केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई -400013 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल करें या 022-23058542/ 43 पर कॉल करें।
- शेयरधारकों से अनुरोध है कि किसी अन्य जानकारी/ प्रक्रिया के लिए पूर्वोक्त उपलब्ध अनुसार ईजीएम के विस्तृत सूचना का अवलोकन करें।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(एस कृष्णन)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23 अप्रैल, 2021

Financial Express

24/04/2021

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Head Office: 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008.

www.psbindia.com

Where service is a way of life

NOTICE

This has reference to our newspaper notice dated 13.04.2021 regarding Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) on **Monday, the 17th day of May, 2021** at 11.00 a.m. In accordance with Securities & Exchange Board of India (SEBI) circular no SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 read with MCA (Ministry of Corporate Affairs) Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No 33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, to transact the following business:

Agenda Item No. 1: To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) pursuant to the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008, RBI Master Directions on "Fit and Proper" criteria for Elected Directors on the Board of PSB's dated August 02, 2019, as amended, and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.

Notes

- In compliance of the aforesaid guidelines, electronic copies of the notice of the EGM have been sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depository Participant(s) and also to those shareholders who have got their email addresses registered with our RTA, Link Intime India Private Limited, pursuant to our newspaper publication dated 13.04.2021. A copy of the detailed notice of the EGM along with relevant forms is available on the website of the Bank i.e. www.psbindia.com, the website of the stock exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on the website of CDSL at www.evotingindia.com.
- Shareholders can join and participate in the EGM through VC / OAVM facility only. Shareholders participating through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab & Sind Bank (Shares & Meeting) Regulations, 2008. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank. The instructions for participating in the EGM through VC / OAVM are set forth in the detailed notice.
- Voting through Electronic Means: Shareholders may please note that in compliance of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the provisions of Rule 20 of the Companies(Management and Administration) Rules, 2014, as amended (E-voting Rules) read with the MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by CDSL and the shareholders may follow the procedure for the same as detailed in the Notice available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.
- Cut-off date / Specified Date: The Bank has fixed **Tuesday, 20th April, 2021** as the Specified / Cut-off Date for the purpose of determining the shareholders eligible for participating i.e. Nominating, Contesting and Voting (remote e-voting and e-voting at the EGM) in the aforesaid election.
- **The last date for receipt of Nominations from candidates is Saturday, 01st May, 2021 by 04:00 p.m.**
- The shareholders holding shares as on the cut-off date i.e. **Tuesday, 20th April, 2021**, may follow the procedure as provided in the notice for obtaining the Login Id and password for e-voting. A person whose name is recorded in the Register of shareholders / Beneficial owners (maintained with the depositories) as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting at the EGM.
- The remote e-voting period begins on at 10.00 am on **Wednesday, 12th May, 2021** and ends at 5.00 pm on **Sunday, 16th May 2021.** During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., **20th April 2021**, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and the remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 PM, 16th May 2021. Once the vote is casted by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- If any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.
- In terms of e-voting rules, only those shareholders, who are present in the EGM and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be allowed to vote through e-voting system at the EGM. A shareholder may participate in the EGM even after exercising his / her right to vote through remote e-voting but such a shareholder shall not be allowed to vote again at the EGM.
- Shareholders holding shares in physical form as on cut-off date and / or those who have not registered their email ids with the Bank / Depository Participant(s) / RTA pursuant to our notice dated 13.04.2021, are requested to follow the procedure for casting vote through remote e-voting or e-voting at the EGM, as stipulated in the notice of the EGM available on the website of the Bank i.e. www.psbindia.com
- The results declared, along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank www.psbindia.com and on the website of CDSL immediately after the declaration of result by the Chairman of the Meeting or a person authorized by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges whereat the equity shares of the Bank are listed.
- If you have any queries or issues regarding attending EGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

  All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.
- Shareholders are requested to refer the detailed notice of the EGM as available aforesaid for any other information / procedure.

By order of the Board of Directors
For PUNJAB & SIND BANK

Place: New Delhi
Date: 23 April, 2021

[S Krishnan]
Managing Director & CEO